82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला खण्डवा
PBR/पुनर्विलोकन/खण्डवा/भू.रा./2017/2933

1– जीवनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह, आयु 60 वर्ष

2– जितेन्द्र पुत्र श्री जीवनसिंह, आयु 60 वर्ष

3– संजयसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह आयु 25 वर्ष
निवासी – ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व
जिला खण्डवा (म0प्र0)

—— आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 29.8.17 को प्रस्तुत
29.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अर्जुनसिंह पुत्र श्री गजराजसिंह राजपूत, आयु 40 वर्ष, ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व जिला खण्डवा (म0प्र0)

—— अनावेदक

29/8/17

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2017/2248 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नाविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह आवेदन सविनय प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा असत्य एवं झूठे आधारों पर म0प्र0 भू–राजस्व संहित की धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व जिला खण्डवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 263 रकवा 0.07 हैक्टेयर भूमि पर से आवेदकगण का वैध कब्जा हटाये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार छैगांव माखन, जिला खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक **PBR**-तीन–पुनरावलोकन/खण्डवा/भू रा./2017/2933

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक पीबीआर–निगरानी / खंडवा / भू रा. / 2017 / 2248 में पारित आदेश दिनॉक 2–8–2017 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन में दर्शाए गए आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही मौखिक तर्को में दोहराया है, जिन पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह वहीं आधार हैं जिनके सम्बन्ध में प्रकरण कमांक पीबीआर–निगरानी / खंडवा / भू रा. / 2017 / 2248 में पारित आदेश दिनॉक 2–8–2017 में विवेचित कर निष्कर्ष जा चुके हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न व्यवस्था दी गई है :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 2–8–17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके व्दारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो। पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से प्रकरण इसी–स्तर पर निरस्त किया जाता है। सदस्य	